[2019] 17 एस सी आर 275

ए.

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड।

(2019 का मध्यस्थता आवेदन संख्या 32) 26 नवंबर, 2019

बी.

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:

एसएस।2(1)(च), 11 (12) (क) और 11 (6)-अनुबंध की समाप्ति-एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति-आवेदन यू/एस. एस.11(12)(क) और 11 (6) कंपनी द्वारा इस आधार पर कि एकमात्र मध्यस्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था; कि ऐसी नियुक्ति निर्धारित अवधि से परे थी और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता थी-आवेदन की रखरखाव पर आपत्ति-अभिनिर्धारित किया गयाःवर्तमान मामले के तथ्यों में, आदेश एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता है और इसलिए आवेदन बनाए रखने योग्य है-हालांकि, मध्यस्थ की नियुक्ति में देरी को धारा 11 के तहत शक्ति के प्रयोग को आकर्षित करने के लिए इतनी बड़ी नहीं कहा जा सकता है-यदि एकमात्र मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह हैं, और यदि अन्य परिस्थितियां निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता होती हैं, तो ऐसी नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जा सकती है-वर्तमान मामले के तथ्यों में, आवेदन मनोरंजक है-एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।मध्यस्थताः

सी.

डी.

ई.

एफ.

एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति-आयोजितःजहाँ केवल एक पक्ष को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है, वहाँ विवाद समाधान के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने या तैयार करने में उसकी पसंद में हमेशा विशिष्टता का एक तत्व होगा-विवाद के परिणाम या निर्णय में रुचि रखने वाले व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए और ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा नियुक्ति की जा सकती है।

जी.

मध्यस्थता आवेदनों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** प्रत्यर्थी द्वारा यह विवादित नहीं है कि संघ के प्रमुख सदस्य को घोषित करना एक आवश्यक शर्त थी

एच.

275 ए.

276 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

और आवेदक संख्या **1** को संघ का प्रमुख सदस्य दिखाया गया था।भले ही दोनों आवेदकों का दायित्व कंसोर्टियम अगाप्लिकेंट नंबर **1** के खंड **9** में प्रमुख सदस्य होने के लिए कहा गया था।कंसोर्टियम कंपनी का प्रमुख सदस्य अर्थात आवेदक संख्या **1** जो एक वास्तुशिल्प फर्म है जिसका पंजीकृत कार्यालय न्यूयॉर्क में है**,** मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **2 (1) (**च**)** की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और वर्तमान मामले में मध्यस्थता एक **"**अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता**" [**पैरा **8** और **10] [286-**ए**-**बी**;** होगी। **289-**ए**-**बी**]**

बी.

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड एससीओएमआई इंजीनियरिंग बीएचडी बनाम मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण

सी.

(2019) 2 एससीसी **271:[2018] 14** एससीआर **22-**पर निर्भर।

2. खंड **24** के संदर्भ में मध्यस्थता का आह्वान करने वाला संचार आवेदकों द्वारा **28.06.2019** पर भेजा गया था और जिस अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को आवश्यक नियुक्ति करनी थी वह **28.07.2019** पर समाप्त हो गई थी।अगले दिन एक कार्य दिवस था लेकिन नियुक्ति मंगलवार**, 30** जुलाई**, 2019** को की गई थी।तकनीकी रूप से**,** नियुक्ति निर्धारित समय के भीतर नहीं की गई थी**,** लेकिन प्रत्यर्थी की ओर से इस तरह की देरी को इस परिमाण का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा **11** के तहत केवल उसी आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाए।**[**पैरा **12] [289-**सी**-**ई**]**

डी.

ई.

3.1.वर्तमान मामले में**,** समझौते का खंड **24** प्रत्यर्थी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अधिकार देता है और कहा कि खंड यह भी निर्धारित

करता है कि प्रत्यर्थी के ऐसे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा।ऐसे मामले में जहां केवल एक पक्ष को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है**,** उसकी पसंद में हमेशा विवाद समाधान के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने या चार्ट बनाने में विशिष्टता का एक तत्व होगा।स्वाभाविक रूप से**,** जिस व्यक्ति की विवाद के परिणाम या निर्णय में रुचि है**,** उसके पास एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए।इसे मध्यस्थता और सुलह **(**संशोधन**)** अधिनियम**, 2015 (2016** का अधिनियम **3)** द्वारा लाए गए संशोधनों के सार के रूप में लिया जाना चाहिए और टी**.** आर**.** एफ**.** लिमिटेड में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए। **[**पारस **13** और **16] [289-**ई**-**एफ**; 295-**बी**-**डी**]** ए

*

एफ.

जी.

एच.

277

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड।

3.2 यदि नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह हैं**,** और यदि अन्य परिस्थितियाँ निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गारंटी देती हैं**,** तो ऐसी नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जा सकती है।निष्पक्ष और स्वतंत्र मध्यस्थों की आवश्यकता और वांछनीयता के मुद्दे पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट अनुच्छेद **53** से **60** में **"**मध्यस्थों की तटस्थता**"** शीर्षक के तहत इस मामले पर विचार किया था।स्वस्थ मध्यस्थता वातावरण बनाने की अनिवार्यता यह माँग करती है कि तत्काल आवेदन स्वीकृति के योग्य हो।**[**पैरा **18** और **20] [297-**सी**-**ई**; 300-**बी**-**सी**]**

बी.

सी.

*टी. आर. एफ. लिमिटेड बनाम एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(2017) 8 एससीसी 377:[2017] 7 एस. सी. आर. 409; इंडियन ऑयल

कॉर्प**.**लिमिटेड वी**.**राजा ट्रांसपोर्ट **(**पी**)** लिमिटेड **(2009) 8** एस**.** सी**.** सी**. 520: [2009] 13** एस**.** सी**.** आर**. 510;** वॉइस्टापलाइन शियनन जी**.** एम**.** बी**.** एच**.** बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन।लिमिटेड **(2017) 4** एससीसी **665 -**

पर भरोसा किया।

डी.

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम

सीमित (2019) 5 एस. सी. सी. 755-संदर्भित।

4. वर्तमान मामले की परिस्थितियों में**,** आवेदकों द्वारा पूर्वनिर्धारित तत्काल आवेदन पर विचार करने के लिए एक मामला बनाया जाता है।इसलिए**,** आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है और प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए **30.07.2019** दिनांकित पत्र और मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रभाव को रद्द कर दिया जाता है।अधिनियम की धारा **11 (6)** द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए**,** डॉ**.** न्यायमूर्ति ए**.** के**.** सीकरी**,** सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को स्वतंत्र और निष्पक्षता और अधिनियम की धारा **29** ए के अनुसार अवधि के भीतर मध्यस्थता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने की क्षमता के संबंध में अधिनियम की संशोधित धारा **12** के तहत की गई अनिवार्य घोषणा के अधीन**,** पक्षों के बीच दिनांकित समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का फैसला करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है। **[**पैरा **25] [302-**ई**-**जी**]**

ई.

एफ.

जी.

वाल्टर बाउ एजी, मूल कॉन्ट्रा सी टोर के कानूनी उत्तराधिकारी, डाइकरहॉफ ए एंड विडमैन, ए. जी. बनाम।बृहन्मुंबई नगर निगम और

एक और (2015) 3 एससीसी 800:[2015] 2 एससीआर 37; टीआरएफ

लिमिटेड बनाम एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड **(2017)**

एच.

8 एससीसी **377:[2017] 7** एससीआर **409-**पर निर्भर।

278 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

ए.

संदर्भित निर्णय

[2018] 14 एससीआर **22**

पैरा **5**

पर भरोसा किया गया |

[2017] 7 एससीआर **409**

पैरा **5**

पर भरोसा किया गया |

[2015] 2 एससीआर **37**

पैरा **5**

13 एस**.** सी**.** आर**. 510** पैरा **17 (2017) 4** एस**.** सी**.** सी**. 665** पर निर्भर था।

बी.

पैरा **18**

पर भरोसा किया गया |

(2019) 5 एससीसी **755**

पैरा **18**

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2019 का मध्यस्थता आवेदन संख्या 32।

सी.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (12) (ए) सहपठित धारा 11 (6) के तहत आवेदन और भारत के मुख्य न्यायाधीश योजना, 1996 द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति।

डी.

के साथ

2019 का मध्यस्थता आवेदन संख्या 34 और 35।

अमर दवे, प्रणय गोयल, चिरंजीवी शर्मा, सुश्री प्रत्यशी मेहता, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

ई.

गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सौरभ मिश्रा, अभिषेक सिंह, सुश्री समृद्धि पाल, सुश्री आशना भाटिया, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित**,** जे।

एफ.

1. अधिनियम 1 की धारा 11 (12) (ए) सहपठित धारा 11 (6) के तहत और योजना 2 के तहत यह आवेदन निम्नलिखित प्रमुख राहत के लिए प्रार्थना करता हैः

“(क) पक्षों के बीच निष्पादित 22 मई, 2017 के अनुबंध के खंड 24 के अनुसार एक एकल मध्यस्थ नियुक्त करें और इस प्रकार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ उक्त अनुबंध से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच विवादों और मतभेदों पर निर्णय ले सकता है।”

जी.

1 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996

2 भारत के मुख्य न्यायाधीश योजना, 1996 ए द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति

एच.

279

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

2. आवेदन निम्नलिखित दावों के साथ दायर किया गया हैः- (ए) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक निष्पादन एजेंसी के रूप में, प्रत्यर्थी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत प्रदान किए गए कार्यों के लिए व्यापक वास्तुशिल्प योजना और डिजाइनिंग का इच्छुक था।इसलिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए "अवधारणाओं की तैयारी और विकास, परिसर के लिए मास्टर प्लान, विनिर्देशों की तैयारी और मात्रा की अनुसूची सहित विभिन्न भवनों/संरचनाओं के लिए सभी प्रारंभिक और कार्यशील चित्र तैयार करने सहित व्यापक योजना और डिजाइनिंग" के लिए डिजाइन सलाहकारों की नियुक्ति के लिए आर. एफ. पी. No.HSCC/3-AIIMS/Guntur 2016 वाले प्रस्तावों के लिए अनुरोध जारी किया गया था।

बी.

सी.

(बी) आर. एफ. पी. के जवाब में, आवेदकों के संघ, अर्थात् (i) पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी., एक वास्तुकला फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय न्यूयॉर्क में है और (ii) एडिफिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कार्यालय मुंबई में है, ने 28.09.2016 पर अपनी बोली प्रस्तुत की।आवेदनकर्ताओं को परियोजना प्रदान करने के लिए 31.01.2017 पर आशय पत्र जारी किया गया था, जिसमें रु। 15.63 करोड़।22.02.2017 पर आवेदकों के पक्ष में एक पुरस्कार पत्र जारी किया गया था और 22.05.2017 पर आवेदकों और प्रत्यर्थी के बीच एक

अनुबंध किया गया था, जिसमें खंड 24 में विवाद समाधान के लिए अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया था।उक्त खंड का प्रासंगिक भाग इस प्रकार थाः

डी.

ई.

एफ.

" 24.0 विवाद समाधान

24.1 जैसा कि अनुबंध में अन्यथा प्रदान किया गया है, उसके अलावा सभी प्रश्न और विवाद जो पहले उल्लिखित विनिर्देशों, डिजाइन, रेखाचित्रों और निर्देशों के अर्थ से संबंधित हैं और कार्यों के लिए प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में या किसी अन्य प्रश्न, दावा, अधिकार, विषय या चीज़ के रूप में जो भी अनुबंध, डिजाइन, रेखाचित्र, विनिर्देशों के अनुमान, निर्देशों, आदेशों या इन शर्तों से उत्पन्न या संबंधित है या अन्यथा कार्यों से संबंधित है या निष्पादन या उसे निष्पादित करने में विफलता से संबंधित है, चाहे वह काम की प्रगति के दौरान उत्पन्न हो।

जी.

एच.

या उसके रद्द होने, समाप्त होने, पूरा होने या छोड़ने के बाद, जैसा कि इसके बाद उल्लेख किया गया है, उस पर विचार किया जाएगाः(i) यदि डिजाइन सलाहकार मानता है कि उसके द्वारा मांगे गए किसी भी काम को अनुबंध की आवश्यकताओं से बाहर है या अनुबंध से उत्पन्न होने या काम को पूरा करने के संबंध में किसी भी मामले पर एच. एस. सी. सी. द्वारा लिखित रूप में दिए गए किसी भी चित्र, रिकॉर्ड या निर्णय पर विवाद अस्वीकार्य है, तो वह तुरंत 15 दिनों के भीतर लिखित निर्देश या निर्णय के लिए लिखित रूप में सी. जी. एम., एच. एस. सी. सी. से अनुरोध करेगा।इसके बाद, सी. जी. एम., एच. एस. सी. सी. डिजाइन सलाहकार का पत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर अपने लिखित निर्देश या निर्णय देगा।यदि सी. जी. एम., एच. एस. सी. सी. उपरोक्त अवधि के भीतर लिखित रूप में अपने निर्देश या निर्णय देने में विफल रहता है या यदि डिजाइन सलाहकार सी. जी. एम., एच. एस. सी. सी. के निर्देशों या निर्णय से असंतुष्ट है, तो डिजाइन सलाहकार निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर निदेशक (इंजीनियरिंग) को अपील कर सकते हैं। एच. एस. सी. सी. जो डिजाइन सलाहकार को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, यदि बाद वाला चाहता है, और अपनी अपील के समर्थन में सबूत पेश करेगा।निदेशक

(इंजीनियरिंग), एच. एस. सी. सी. डिजाइन सलाहकार की अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपना निर्णय देगा।यदि डिजाइन सलाहकार निर्णय से असंतुष्ट है, तो डिजाइन सलाहकार इस निर्णय की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए सीएमडी, एचएससीसी को नोटिस देगा, जिसमें विफल रहने पर उक्त निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्णायक होगा और मध्यस्थ द्वारा निर्णय के लिए संदर्भित नहीं होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

(ii) सिवाय इसके कि जहां निर्णय अंतिम हो गया है, उप-पैरा (i) के संदर्भ में बाध्यकारी और निर्णायक उपरोक्त विवाद या अंतर को डिजाइन सलाहकार से अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर एचएससीसी के सीएमडी द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से निर्णय के लिए भेजा जाएगा।यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ कार्य करने में असमर्थ या अनिच्छुक है या अपनी नियुक्ति से इस्तीफा दे देता है या किसी भी कारण से अपना पद खाली कर देता है, तो उपरोक्त तरीके से जो भी अन्य एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा।ऐसा व्यक्ति ए के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा।

जी.

एच.

281

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

उस चरण से संदर्भ से संदर्भ जिस पर यह उनके पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था।यह इस अनुबंध की एक अवधि है कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए नोटिस के साथ ऐसे प्रत्येक विवाद के संबंध में दावा की गई राशि के साथ विवादों की एक सूची देगा और अपील के सीएमडी, एचएससीसी द्वारा अस्वीकृति का संदर्भ देगा।यह भी इस अनुबंध की एक अवधि है कि ऐसे सी. एम. डी., एच. एस. सी. सी. द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।यह भी अनुबंध की एक अवधि है कि यदि डिजाइन सलाहकार एच. एस. सी. सी. से यह सूचना प्राप्त करने के 120 दिनों के भीतर लिखित रूप में किसी भी दावे के संबंध में मध्यस्थ की नियुक्ति की कोई मांग

नहीं करता है कि अंतिम बिल भुगतान के लिए तैयार है, तो डिजाइन सलाहकार के दावे को माफ कर दिया गया है और पूरी तरह से वर्जित माना जाएगा और एच. एस. सी. सी. को अनुबंध के तहत और इन दावों के संबंध में सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।मध्यस्थता का संचालन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के प्रावधानों या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा और कुछ समय के लिए इस खंड के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा।"

बी.

सी.

डी.

ई.

(ग) उक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के छह दिनों के भीतर, दिनांकित 26.5.2017 पत्र में प्रत्यर्थी ने आवेदकों की ओर से कथित विफलता का आरोप लगाया, जिसके बाद दिनांकित 03.11.2017 पर काम बंद करने का नोटिस दिया गया।यह आवेदकों का मामला है कि उत्तरदाताओं के अधिकारी जानबूझकर परियोजना को रोकने की कोशिश कर रहे थे और शुरुआती चरणों से ही असहयोगी थे।

एफ.

(डी) बाद में, प्रत्यर्थी द्वारा 11.01.2019 पर एक समाप्ति नोटिस जारी किया गया था जिसमें आवेदकों की ओर से संविदात्मक दायित्वों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था, जिसके दावों को अस्वीकार कर दिया गया था।हालाँकि, समाप्ति पत्र 20.02.2019 पर जारी किया गया था।<आई. डी. 1] पर अधिवक्ता द्वारा वाद समाधान खंड अर्थात् खंड 24 को लागू करने वाले आवेदकों के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें रुपये का दावा किया गया था। 20.95 करोड़।आवेदकों के अनुसार, अनुबंध के खंड 24 के संदर्भ में दिनांकित 11.04.2019 नोटिस के संबंध में निर्णय एक महीने के भीतर लिया जाना आवश्यक था, लेकिन एक संचार द्वारा भेजा गया था

जी.

एच.

प्रत्यर्थी ने 10.05.2019 पर सूचित किया कि नोटिस का जवाब 30 दिनों के भीतर भेजा जाएगा।

(ई) आवेदक द्वारा निदेशक (इंजीनियरिंग) के समक्ष उक्त खंड 24 के संदर्भ में एक अपील दायर की गई थी, लेकिन निदेशक (इंजीनियरिंग) की ओर से उक्त खंड 24 के संदर्भ में दायित्वों का निर्वहन करने में पूरी तरह से विफलता थी।इसलिए, दिनांक 28.06.2019 के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी के मुख्य प्रबंध निदेशक को उक्त खंड 24 के संदर्भ में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए कहा गया था।हालाँकि, तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ की कोई नियुक्ति नहीं की गई थी, लेकिन प्रत्यर्थी के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा 30.07.2019 पर एक पत्र संबोधित किया गया था, जिसमें कथित रूप से एक मेजर जनरल के. टी. गजरिया को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।(च) आवेदन के पैरा 3 में प्रासंगिक कथन इस प्रकार हैंः- "जेड। एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए 30 (तीस) दिन की अवधि 28 जुलाई, 2019 को समाप्त हो गई थी और फिर भी प्रत्यर्थी का सीएमडी एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने या 28 जून, 2019 (29 जून, 2019 को प्राप्त) के पत्र का जवाब देने में भी विफल रहा।आ आ।आश्चर्यजनक रूप से, अपने कठोर दृष्टिकोण को जारी रखते हुए और 24 जून, 2019 के अपने ही पत्र का उल्लंघन करते हुए, प्रत्यर्थी के सी. जी. एम. ने 30 जुलाई, 2019 के कथित नियुक्ति पत्र को एक मेजर जनरल के. टी. गजरिया को संबोधित किया, जिससे उन्हें कथित रूप से मामले में एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया।उसी तारीख को, प्रत्यर्थी के सी. जी. एम. ने अन्य बातों के साथ-साथ श्री गजरिया की कथित नियुक्ति के बारे में सूचित करते हुए आवेदकों को एक पत्र भी लिखा।

बी.

सी.

डी.

ई.

3. उपरोक्त परिसरों में आवेदक प्रस्तुत करते हैंः- (क) आवेदकों ने विधिवत मध्यस्थता खंड का आह्वान किया था; (ख) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी थे;

एफ.

(ग) लेकिन प्रत्यर्थी के मुख्य महाप्रबंधक ने गलत तरीके से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया;

जी.

(घ) ऐसी नियुक्ति निर्धारित अवधि से परे थी; (ङ) किसी भी मामले में, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता होती है।

4. आवेदन के जवाब में, प्रत्यर्थी द्वारा सभी भौतिक आरोपों से इनकार करते हुए एक हलफनामा दायर किया गया है।यह स्वीकार किया जाता है ए

एच.

283

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

कि पक्षों के बीच किए गए अनुबंध में विवाद समाधान के संबंध में खंड 24 शामिल है।हालाँकि, यह विवादित है कि खंड 24 के संदर्भ में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में प्रत्यर्थी की ओर से कोई निष्क्रियता थी।यह प्रस्तुत किया जाता है, अन्य बातों के साथ, कि

(क) मेजर जनरल के. टी. गजरिया की नियुक्ति अनुबंध के खंड 24 के अनुरूप थी;

बी.

(ख) ऐसी नियुक्ति को किसी भी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता है;

(ग) अधिनियम की धारा 11 (12) (क) सहपठित धारा 11 (6) के प्रावधानों के तहत किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने का कोई अवसर नहीं था; और

सी.

(घ) किसी भी मामले में, वर्तमान मामले में मध्यस्थता अधिनियम की धारा 2 (1) (च) के अर्थ के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता नहीं होगी।

डी.

5. हमने श्री अमर दवे, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और श्री गुरु कृष्ण कुमार, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना।

विद्वान अधिवक्ता श्री डेव द्वारा प्रस्तुत विद्वान गया था कि खंड 24 के संदर्भ में अपने दायित्वों का निर्वहन करने में प्रत्यर्थी की ओर से विफलता के कारण, आवेदक वर्तमान आवेदन को बनाए रखने और एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करने के हकदार होंगे, जैसा कि अनुरोध विद्वान गया था।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि खंड 24 में विचार की गई नियुक्ति प्रक्रिया प्रत्यर्थी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को अपनी पसंद के मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए पूर्ण विवेकाधिकार देती है, प्रत्यर्थी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्वाभाविक रूप से विवाद के संबंध में परिणाम या निर्णय में रुचि रखते हैं, इसलिए निष्पक्षता के तत्व की पूर्व-आवश्यकता ऐसी प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित होगी; और इस तरह यह वांछनीय होगा कि यह

न्यायालय एक मध्यस्थ की उचित नियुक्ति करे।रिलायंस को वाल्टर बाउ एजी में इस न्यायालय के फैसलों पर रखा गया था,

ई.

एफ.

जी.

मूल ठेकेदार के कानूनी उत्तराधिकारी**,** डाइकरहॉफ और विडमैन**,** ए**.** जी**.** बनाम।बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य **3** और टी**.** आर**.** एफ**.** लिमिटेड बनाम एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड **4**

3 (2015) 3 एससीसी 800 4 (2017) 8 एससीसी 377

एच.

प्रस्तुतियों के समर्थन में।विद्वान अधिवक्ता श्री डेव ने भी भरोसा विद्वान

लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड एससीओएमआई इंजीनियरिंग बीएचडी बनाम मुंबई महानगर क्षेत्र विकास मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर

प्राधिकरण **5** इस बात को घर लाने के लिए कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता होगी।

प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरु कृष्ण कुमार ने कहा कि तत्काल आवेदन को बनाए रखने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदन के उप-पैरा (जेड) और (एए) में पैरा 3 में दो बुनियादी प्रस्तुतियाँ की गई थीं कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दिनांकित 28.06.2019 की मांग के 30 दिनों के भीतर एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफल रहे और यह कि यह प्रत्यर्थी का मुख्य महाप्रबंधक था जिसने कथित रूप से 30.07.2019 पर एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की थी।इस प्रकार अनुमानित दुर्बलताएँ दो मामलों में थीं, अर्थात् 30 दिनों की सीमा को पार करने के लिए; और दूसरी बात यह कि नियुक्ति प्रत्यर्थी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा नहीं की गई थी।उन्होंने बताया कि 28.06.2019 की मांग की अवधि शुक्रवार को समाप्त हो गई और नियुक्ति पहले उपलब्ध कार्य दिवस पर की गई थी।दूसरा, नियुक्ति वास्तव में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा की गई थी, लेकिन मुख्य महाप्रबंधक द्वारा सूचित किया गया था, और इस तरह कथित दुर्बलताएं पूरी तरह

से अस्तित्व में नहीं थीं।उन्होंने आगे कहा कि तत्काल मामले में मध्यस्थता, यदि कोई हो, एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता नहीं होगी।

बी.

सी.

डी.

ई.

6. इसलिए वर्तमान आवेदन दो बुनियादी मुद्दों को उठाता है; पहला कि क्या वर्तमान मामले में मध्यस्थता एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता होगी या नहीं।यदि ऐसा नहीं है, तो यह न्यायालय अधिनियम की धारा 11 (12) (ए) सहपठित धारा 11 (6) के तहत आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए शक्ति के प्रयोग के लिए कोई मामला बनाया गया है।7. सुनवाई के दौरान, आवेदकों द्वारा 20.09.2016 पर आवेदक संख्या 1 और आवेदक संख्या 2 के बीच किए गए कंसोर्टियम समझौते पर भरोसा रखा गया था, जिसमें आवेदक संख्या 1 को कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य के रूप में वर्णित किया गया था।प्रासंगिक पाठ और समझौते का खंड इस प्रकार थाः

एफ.

जी.

"1. जबकि सभी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि पर्किन्स ईस्टमैन ग्राहक के साथ समझौते और बातचीत के लिए केंद्र बिंदु होगा।"

5 (2019) 2 एससीसी 271 ए

एच.

285

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

"9. पर्किन्स ईस्टमैन और मेसर्स एडिफिस कंसल्टेंट्स परियोजना के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से जिम्मेदार हैं "बोली दस्तावेजों और आर. एफ. पी. की आवश्यकताओं के संदर्भ में" संघ के प्रमुख सदस्य (फॉर्म ई) के लिए घोषणा "भी प्रस्तुत की गई थी।घोषणा इस प्रकार थीः

बी.

“जबकि मेसर्स एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड। (एच. एस. सी. सी.) (ग्राहक) ने मंगलगिरी, गुंटूर (ए. पी.) में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की व्यापक योजना और डिजाइन प्रदान करने के लिए इच्छुक पक्षों से बोलियां/बोलियां आमंत्रित की हैं।और जहां संघ के सदस्य परियोजना के लिए बोली लगाने में रुचि रखते हैं और बोली के अनुरोध (आर. एफ. पी.) दस्तावेज, संदर्भ की शर्तों, ग्राहक की आवश्यकता, बोली आमंत्रित करने की सूचना, बोली लगाने वालों को निर्देश, अनुबंध की शर्तों और परियोजना के संबंध में अन्य जुड़े दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना को लागू करने में रुचि रखते हैं, और जहां संघ बोलीदाता के सदस्यों के लिए आर. एफ. पी. दस्तावेज के तहत यह आवश्यक है कि वे उनमें से एक को प्रमुख प्रबंधक के रूप में नामित करें और संघ बोलीदाता के लिए और उसकी ओर से करने के लिए सभी आवश्यक शक्तियों और प्राधिकार के साथ, सभी कार्य, कार्य और चीजें जो संघ बोलीदाता के संबंध में आवश्यक हो सकते हैं।

सी.

डी.

ई.

अब यह घोषणा गवाह है कि;

हम, पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी., और इसका पंजीकृत कार्यालय 115 5 वीं एवेन्यू मंजिल 3, न्यूयॉर्क, एन. वाई. 10003-10004, यू. एस. ए. और एम/एस. एडिफिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय श्रीराम आर्केड, 3 वीं मंजिल, सामने है। गोवंडी पी. ओ., गोवंडी स्टेशन रोड, गोवंडी ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 400088 एतद्द्वारा पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. को संघ के सदस्यों में से एक होने के नाते, संघ के प्रमुख सदस्य के रूप में, संघ की ओर से, आवेदन/बोली जमा करने, सम्मेलनों में भाग लेने, प्रश्नों का जवाब देने, सूचना/दस्तावेज जमा करने और आम तौर पर एच. एस. सी. सी., किसी अन्य सरकारी एजेंसी या किसी भी व्यक्ति के साथ अपने सभी लेन-देन में संघ का प्रतिनिधित्व करने सहित परियोजना के लिए संघ के आवेदन/बोली के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी या किसी भी कार्य, कार्यों को करने के लिए नामित करता है।”

एफ.

जी.

एच.

8. प्रत्यर्थी द्वारा यह विवादित नहीं है कि संघ के एक प्रमुख सदस्य को घोषित करना एक आवश्यक शर्त थी और उपरोक्त घोषणा द्वारा आवेदक संख्या 1 को संघ का प्रमुख सदस्य दिखाया गया था।हालाँकि, प्रत्यर्थी द्वारा कंसोर्टियम समझौते के खंड 9 पर निर्भरता रखी जाती है, जिसके आधार पर दोनों आवेदक परियोजना के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से जिम्मेदार होंगे।यह स्पष्ट है कि घोषणा से पता चलता है कि आवेदक संख्या 1 को संघ का प्रमुख सदस्य स्वीकार किया गया था।भले ही खंड 9 में दोनों आवेदकों के दायित्व को संयुक्त और कई बताया गया हो, लेकिन यह अपने आप में आवेदक संख्या 1 की प्रमुख सदस्य होने की स्थिति को नहीं बदलेगा।इसलिए हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि आवेदक संख्या 1 संघ का प्रमुख सदस्य है।

बी.

सी.

9. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड में एससीओएमआई इंजीनियरिंग बीएचडी **5**

कमोबेश इसी तरह की तथ्य स्थिति पर विचार किया गया।एकमात्र अंतर यह था कि संघ में प्रमुख सदस्य भारत में पंजीकृत एक इकाई थी।निर्णय के पैराग्राफ 2,3,4,15,17,18 और 19 इस प्रकार हैं:

डी.

“2. चूंकि समझौते के पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए थे, इसलिए भारतीय कंपनी मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो के कंसोर्टियम द्वारा मलेशिया में निगमित कंपनी स्कोमी इंजीनियरिंग बीएचडी के साथ मिलकर विभिन्न अंतरिम दावे किए गए थे, जिसके लिए कंसोर्टियम ने अधिनियम की धारा 11 के तहत इस न्यायालय में याचिका दायर की है, क्योंकि उनके अनुसार, मध्यस्थता समझौते के पक्षों में से एक, मलेशिया में निगमित एक निकाय कॉर्पोरेट होने के नाते, एक निकाय कॉर्पोरेट होगा, जो भारत के अलावा किसी अन्य देश में निगमित है, जो अधिनियम की धारा 2 (1) (एफ) (ii) को आकर्षित करेगा।

ई.

एफ.

3. कंसोर्टियम की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गोपाल जैन ने हमें समझौते के माध्यम से ले जाया है, जिसमें वह इस तथ्य पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं कि दो संस्थाएं, यानी भारतीय कंपनी और मलेशियाई कंपनी, हालांकि एक कंसोर्टियम बताई गई है, नियोक्ता के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से उत्तरदायी हैं।विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस तथ्य पर भी भरोसा विद्वान है कि अनुबंध के काम करने के दौरान, अलग-अलग दावे किए गए हैं, जिन्हें

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (इसके बाद "एमएमआरडीए" के रूप में संदर्भित) द्वारा खारिज कर दिया गया है।उन्होंने आगे इस तथ्य पर भी भरोसा किया है कि ए द्वारा

जी.

एच.

287

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

समझौते के कार्यकरण के दौरान कम से कम तीन पत्रों में, दावों को वास्तव में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और इसलिए, अनुबंध की सामान्य शर्तों (जिसे इसके बाद "जीसीसी" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 20.4 के तहत मध्यस्थता खंड को लागू करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि खंड 20.1 से 20.3 द्वारा उल्लिखित प्रक्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

बी.

4. दूसरी ओर, एमएमआरडीए, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने दिनांकित अनुबंध के साथ-साथ भारतीय कंपनी और मलेशियाई कंपनी के बीच दिनांकित वास्तविक संघ समझौते दोनों पर भरोसा विद्वान है, जिसे एक साथ पढ़ने पर पता चलेगा कि वे वास्तव में एक अनिगमित संघ हैं और इसलिए, एक संघ या व्यक्तियों के निकाय के रूप में धारा 2 (1) (एफ) (iii) के अंतर्गत आते हैं, बशर्ते कि केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयोग भारत के अलावा किसी भी देश में विद्वान जाए।

सी.

...

...

...

डी.

15. अधिनियम की धारा 2 (1) (च) (iii) व्यक्तियों के दो अलग-अलग समूहों को संदर्भित करती हैः एक "संगठन" जो "व्यक्तियों के निकाय" से अलग और अलग है।उदाहरण के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (31) के तहत, "व्यक्ति" को उपखंड (v) के तहत व्यक्तियों के एक संघ या व्यक्तियों के निकाय को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह निगमित हो या नहीं।यह इस अर्थ में है कि धारा 2 (1) (च) (iii) में एक संघ का

उल्लेख किया गया है, जिसमें दो या दो से अधिक निगमित निकायों का एक संघ शामिल होगा, जिनमें से कम से कम एक भारत के अलावा किसी अन्य देश में निगमित निगमित निकाय है।

ई.

एफ.

...

...

...

17. अगस्त 2014 की विधि आयोग की रिपोर्ट संख्या 246, जिसने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में कई संशोधन किए, ने "एक कंपनी या" शब्दों को हटाने के लिए निम्नलिखित कारण दिएः

जी.

“(iii) उप-धारा (1), खंड (च), उप-खंड (3) में, "एक कंपनी या" शब्दों के पहले "एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय" शब्दों को हटा दें।

[नोट करें।—उप-धारा (iii) में "कंपनी" के संदर्भ को हटा दिया गया है क्योंकि यह पहले से ही उप-धारा के तहत आता है।

एच.

खंड (ii)।इरादा किसी कंपनी के निवास का निर्धारण उसके निगमन के स्थान के आधार पर करना है न कि केंद्रीय प्रबंधन/नियंत्रण के स्थान के आधार पर।यह उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित "निगमन का स्थान" सिद्धांत को फिर से लागू करता है।

टी. डी. एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनामयूरोपीय संघ विकास भारत (पी)

लिमिटेड 6, और निगमन का एक अलग स्थान और केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण के अभ्यास का स्थान रखने वाली कंपनियों के मामले में अधिक निश्चितता जोड़ता है।]”

बी.

यह स्पष्ट हो जाएगा कि "कंपनी या" अभिव्यक्ति को हटाने से पहले, धारा 2 (1) (च) (iii) में अलग और विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में संदर्भित व्यक्तियों के तीन समूह थे जो उक्त उपखंड के भीतर आते थे।विधि आयोग द्वारा दिए गए कारण के लिए "एक कंपनी या" वाक्यांश को हटाने के कारण यह नहीं बदलता है।यह एक और कारण है कि "किसी संगठन" को "व्यक्तियों के समूह" के सहपठित क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है, जो इसका अनुसरण करता है, लेकिन अपने आप में एक अलग और विशिष्ट श्रेणी है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित आयकर अधिनियम में परिभाषित "व्यक्ति" की परिभाषा से समझा जाता है।

सी.

डी.

18. यह मामला होने के कारण, जैसा कि श्री दीवान द्वारा सही ढंग से तर्क दिया गया है, कि भारतीय कंपनी प्रमुख भागीदार है, और संघ समझौते के तहत गठित पर्यवेक्षी बोर्ड यह स्पष्ट करता है कि प्रमुख भागीदार के पास वास्तव में निर्धारक आवाज है कि वह उक्त बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है (निस्संदेह, अन्य सदस्यों की सहमति से); और यह तथ्य कि संघ का कार्यालय वडाला, मुंबई में है और यह भी कि प्रमुख सदस्य मध्यस्थता कार्यवाही का नेतृत्व करेगा, इस तथ्य की ओर इशारा करेगा कि इस संघ का केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण भारत में किया जाता है न कि किसी विदेशी राष्ट्र में।

ई.

एफ.

19. यह मामला होने के कारण, हम अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर याचिका को खारिज करते हैं, क्योंकि याची के लिए इस न्यायालय में आने के लिए अधिनियम की धारा 2 (1) (च) के तहत परिभाषित कोई "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" नहीं है।हम इस बात में जाना भी आवश्यक नहीं समझते हैं कि क्या मध्यस्थता का आह्वान करने के लिए उचित चरण अभी तक नहीं पहुंचा है।"

जी.

10. इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 2 (1) (च) में निर्दिष्ट "संगठन" और "व्यक्तियों का निकाय" अलग-अलग श्रेणियां होंगी।

एच.

6 (2008) 14 एससीसी 271 ए

289

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

हालाँकि, उस मामले में एसोसिएशन का प्रमुख सदस्य एक भारतीय इकाई होने के नाते, एसोसिएशन का "केंद्रीय प्रबंधन और नियंत्रण" भारत के अलावा किसी अन्य देश में माना गया था।उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कंसोर्टियम कंपनी का प्रमुख सदस्य अर्थात आवेदक संख्या 1 एक वास्तुशिल्प फर्म है जिसका न्यूयॉर्क में पंजीकृत कार्यालय है, अधिनियम की धारा 2 (1) (च) की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और वर्तमान मामले में मध्यस्थता एक "अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता" होगी।

बी.

11. यह हमें दूसरे मुद्दे पर ले जाता है, अर्थात्, क्या न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए शक्ति के प्रयोग के लिए कोई मामला बनाया गया है।

सी.

12. खंड 24 के संदर्भ में मध्यस्थता का आह्वान करने वाला संचार आवेदकों द्वारा 28.06.2019 पर भेजा गया था और जिस अवधि के भीतर प्रत्यर्थी को आवश्यक नियुक्ति करनी थी वह 28.07.2019 पर समाप्त हो गई थी।अगले दिन एक कार्य दिवस था लेकिन नियुक्ति मंगलवार, 30 जुलाई, 2019 को की गई थी।तकनीकी रूप से, नियुक्ति निर्धारित समय के भीतर नहीं की गई थी, लेकिन प्रत्यर्थी की ओर से इस तरह की देरी को इस परिमाण का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है कि न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 11 के तहत केवल उसी आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाए।

डी.

13. हालांकि, वाल्टर बाउ एजी 3 और टीआरएफ लिमिटेड 4 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए जिस बिंदु पर आग्रह किया गया है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान मामले में खंड 24 प्रत्यर्थी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अधिकार देता है और कहा कि खंड यह भी निर्धारित करता है कि प्रत्यर्थी के ऐसे अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा।टी. आर. एफ. लिमिटेड 4 में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ को इस बात पर विचार करने के लिए कहा गया था कि क्या प्रत्यर्थी के प्रबंध निदेशक द्वारा की गई मध्यस्थ की नियुक्ति वैध थी और क्या उस स्तर पर अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत दायर आवेदन पर अदालत द्वारा विचार किया जा सकता है।संबंधित खंड, अर्थात् खंड 33, जो उस मामले में विवादों के समाधान के लिए उपबंध करता था, निम्नानुसार थाः

ई.

एफ.

जी.

“33. विवाद/मध्यस्थता का समाधान (ए) यदि पी. ओ. के तहत या उसके संबंध में खरीदार और विक्रेता के बीच कोई असहमति या विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों सीधे अनौपचारिक बातचीत द्वारा इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे।

एच.

290

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 17 एस सी आर।

(ख) यदि, इस तरह की अनौपचारिक बातचीत शुरू होने के 30 दिनों के बाद भी, विक्रेता और खरीदार विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में सक्षम नहीं हुए हैं, तो कोई भी पक्ष यह माँग कर सकता है कि विवाद को समाधान के लिए मध्यस्थता के औपचारिक तंत्र को भेजा जाए।

बी.

(ग) जिन सभी विवादों का निपटारा आपसी बातचीत से नहीं किया जा सकता है, उन्हें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा संदर्भित और निर्धारित किया जाएगा।

(घ) जब तक अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता है, इस समझौते के संबंध में पक्षों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद को खरीदार के प्रबंध निदेशक या उसके नामित व्यक्ति के एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा।मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा और मध्यस्थता अंग्रेजी भाषा में की जाएगी।

सी.

डी.

(ङ) न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए बाध्यकारी होगा।”

14. टीआरएफ लिमिटेड 4 में, समझौता संशोधन अधिनियम (2016 का अधिनियम संख्या 3) के प्रावधानों के लागू होने से पहले किया गया था।अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि संशोधन अधिनियम के प्रावधानों और अधिनियम में पांचवीं और सातवीं अनुसूचियों को शामिल करने के आधार पर, प्रत्यर्थी का प्रबंध निदेशक विवाद में प्रत्यक्ष हित रखने वाला व्यक्ति होगा और इस तरह वह मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।निवेदन का विस्तार यह था कि एक व्यक्ति जिसे स्वयं अयोग्य और अयोग्य घोषित किया गया था, वह भी मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित नहीं कर सकता था।प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिवाद की गई प्रस्तुति निम्नानुसार थीः-

ई.

एफ.

“ 7.1.चूंकि प्रत्यर्थी का प्रबंध निदेशक अधिनियम में संशोधन के बाद मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो गया है, इसलिए वह किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित नहीं कर सकता था, क्योंकि पांचवीं और सातवीं अनुसूची मौलिक रूप से यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन करती है कि क्या ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म देती हैं।विस्तार से, यदि कोई व्यक्ति जिसका पक्षों या वकील या विवाद के विषय के साथ संबंध ए में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है

जी.

एच.

291

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

सातवीं अनुसूची में, वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है, लेकिन अन्यथा नहीं।

इस मुद्दे पर चर्चा की गई और इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः-50. सबसे पहले, हम खंड (घ) पर चर्चा करेंगे।इस बात में कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम की धारा 12 (5) के आधार पर, यदि कोई व्यक्ति जो सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।इसमें कोई संदेह नहीं है और न ही हो सकता है, क्योंकि सातवीं अनुसूची में प्रयुक्त भाषा के लिए निगम का प्रबंध निदेशक कानून के संचालन से अयोग्य हो गया है।अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का यह रुख है कि एक बार प्रबंध निदेशक अयोग्य हो जाने के बाद, वह भी नामित करने के लिए अयोग्य हो जाता है।उक्त स्थिति का खंडन करते हुए, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रचार विद्वान जाता है कि अयोग्यता एक नामांकित व्यक्ति तक नहीं बढ़ सकती है यदि वह निगम से नहीं है और इससे भी अधिक जब उपयुक्त और आवश्यक प्रकटीकरण हो।हम यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि वर्तमान मामले में हम न तो प्रकटीकरण से संबंधित हैं और न ही वस्तुनिष्ठता, न ही निष्पक्षता और न ही ऐसी किसी अन्य परिस्थिति से।हम अकेले इस मुद्दे से चिंतित हैं कि क्या प्रबंध निदेशक, कानून के संचालन से अयोग्य होने के बाद भी मध्यस्थ को नामित करने के योग्य है।पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम कह सकते हैं कि जब दो पक्ष होते हैं, तो एक मध्यस्थ को नामित कर सकता है और दूसरा दूसरे को नियुक्त कर सकता है।यह पूरी तरह से एक अलग स्थिति है।यदि कोई ऐसा खंड है जिसमें पक्षों को अपने संबंधित मध्यस्थ को नामित करने की आवश्यकता होती है, तो उनके नामित करने के अधिकार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।उस परिस्थिति में वास्तव में जिस बात पर सवाल उठाया जा सकता है,

वह है प्रक्रिया संबंधी अनुपालन और उनके मध्यस्थ की पात्रता, जो अधिनियम और उससे जुड़ी अनुसूचियों के तहत प्रदान किए गए मानदंडों पर निर्भर करती है।लेकिन, यहाँ एक ऐसा मामला है जहाँ प्रबंध निदेशक "नामित एकमात्र मध्यस्थ" है और उसे एक ऐसे व्यक्ति को नामित करने की शक्ति भी प्रदान की गई है जो उसके स्थान पर मध्यस्थ हो सकता है।इस प्रकार, एक सूक्ष्म अंतर है।इस संबंध में हमारा ध्यान उड़ीसा राज्य में दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की ओर आकर्षित किया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

v. कॉम.भूमि अभिलेख और निपटान 7.उक्त मामले में,

सवाल यह उठा कि क्या राजस्व बोर्ड अपने प्रतिनिधि द्वारा पारित आदेश को संशोधित कर सकता है।उक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहाः(एस. सी. सी. पी. 173, पैरा 25)

7 (1998) 7 एससीसी 162

एच.

“25. हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब आयुक्त निपटान अधिनियम, 1958 की धारा 33 के तहत उसे सौंपी गई बोर्ड की शक्ति का प्रयोग करता है, तो उसके द्वारा पारित आदेश को राजस्व बोर्ड के आदेश के रूप में माना जाना चाहिए, न कि आयुक्त के रूप में उसकी क्षमता के अनुसार। यह स्थिति इस न्यायालय के दो फैसलों से स्पष्ट है, जिनका हम वर्तमान में उल्लेख करेंगे।उक्त निर्णयों में से पहला रूप चंद बनाम पंजाब राज्य 8 में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा तय किया गया निर्णय है।उस मामले में, बहुमत द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां राज्य सरकार ने ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 41 (1) के तहत, धारा 21 (4) के तहत अपनी अपीलीय शक्तियों को एक "अधिकारी"

को सौंप दिया था, ऐसे अधिकारी द्वारा पारित एक आदेश राज्य सरकार द्वारा स्वयं पारित एक आदेश था और धारा 42 के भीतर "इस अधिनियम के तहत किसी भी अधिकारी द्वारा पारित आदेश नहीं था" और राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार योग्य नहीं था।यह इंगित किया गया था कि उस अधिनियम की धारा 42 के तहत राज्य द्वारा संशोधन की शक्तियों के प्रयोग के उद्देश्य से, संशोधित किए जाने का आदेश एक अधिकारी द्वारा अपने अधिकार में पारित किया जाना चाहिए न कि राज्य के प्रतिनिधि के रूप में।इसलिए, राज्य सरकार को धारा 42 के तहत मामले के रिकॉर्ड मांगने का अधिकार नहीं था, जिसे उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले एक अधिकारी द्वारा निपटाया गया था।"

बी.

सी.

डी.

ई.

(मूल में जोर) 51।उक्त मामले में, बिहारी का संदर्भ दिया गया था

कुंज सहकारी आवास समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 9, जो रूप चंद बनाम पंजाब राज्य 8 में निर्णय का अनुसरण करता है।ऐसा प्रतीत होता है

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त सिद्धांत का पालन इंदौर में किया गया है।

एफ.

विकास अधिकारन 10.

52. श्री सुंदरम ने प्रतापचंद नोपाजी 11 पर पूरा भरोसा किया है।उक्त मामले में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने "क्वि फैसिट पर एलियम फैसिट पर से" उक्ति को लागू किया।हम लाभप्रद रूप से इस परिच्छेद को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:(एस. सी. सी. पी. 214, पैरा 9)

जी.

8 ए. आई. आर 1963 एस. सी. 1503

9 (1997) 7 एससीसी 37

10 इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम प्योर इंडस्ट्रियल कोक एंड केमिकल्स लिमिटेड, (2007) 8 एस. सी. सी. 705

11 प्रतापचंद नोपाजी बनाम कोटरिके वेंकट सेट्टी एंड संस, (1975) 2 एस. सी. सी. 208 ए

एच.

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

“9. ... यदि उद्देश्यों को अनुबंध अधिनियम की धारा 23 द्वारा प्रभावित किया जाता है, तो जो सिद्धांत लागू होगा, वह इसमें सन्निहित है -

अधिकतमः“ कि फेसिट पर एलियम फेसिट पर से (कोई क्या करता है)

दूसरे के माध्यम से स्वयं किया जाता है)।इसे दूसरे रूप में रखने के लिए, जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है, वह निषिद्ध क्षेत्र के भीतर अवैध कार्य करने के लिए निषिद्ध क्षेत्र के बाहर किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करके अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता है।इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस तरह के अवैध कार्य को करने के लिए, नियोजित एजेंट को "पक्का अदतिया" की व्यापक शक्तियां या अधिकार दिया जाता है, या, जैसा कि उच्च न्यायालय ने माना था, वह केवल एक साधारण कमीशन एजेंट की शक्तियों से लैस है।”

बी.

सी.

53. उपरोक्त अधिकारियों की इस प्रस्ताव को स्थापित करने के लिए सराहना की गई है कि यदि किसी अयोग्य मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थ के नामांकन की अनुमति दी जाती है, तो यह स्वयं द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के समान होगा।अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अयोग्यता मध्यस्थता करने या नामित व्यक्ति द्वारा मध्यस्थता कराने की उसकी शक्ति के मूल पर हमला करती है।

डी.

54. ऐसे संदर्भ में, विवाद का आधार यह होगा कि क्या प्रबंध निदेशक की तरह एक अयोग्य मध्यस्थ एक मध्यस्थ को नामित कर सकता है, जो अन्यथा योग्य और एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है।जैसा कि पहले कहा गया है, हम न तो वस्तुनिष्ठता से संबंधित हैं और न ही व्यक्तिगत सम्मान से।हम केवल प्रबंध निदेशक के अधिकार या शक्ति से संबंधित हैं।हमारे विश्लेषण से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाध्य हैं कि एक बार जब मध्यस्थ कानून के संचालन से अयोग्य हो जाता है, तो वह किसी अन्य को मध्यस्थ के रूप में नामित नहीं कर सकता है।मध्यस्थ अधिनियम की धारा 12 (5) में निहित प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार अयोग्य हो जाता है। कानून में यह अकल्पनीय है कि जो व्यक्ति वैधानिक रूप से अयोग्य है, वह किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है।कहने की जरूरत नहीं है कि एक बार बुनियादी ढांचा ढह जाने के बाद अधिसंरचना ढह जाएगी।प्लिंथ के बिना कोई इमारत नहीं हो सकती।या इसे अलग तरह से रखने के लिए, एक बार एकमात्र मध्यस्थ के रूप में प्रबंध निदेशक की पहचान खो जाने के बाद, किसी और को मध्यस्थ के रूप में नामित करने की शक्ति समाप्त हो जाती है।इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया विचार टिकाऊ नहीं है और हम ऐसा कहते हैं।”

ई.

एफ.

जी.

15. इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि प्रबंध निदेशक एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए कानून के संचालन से अयोग्य हो गया था, इसलिए वह नामित नहीं कर सकता था।

एच.

मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाला एक अन्य व्यक्ति और यह कि एक बार एकमात्र मध्यस्थ के रूप में प्रबंध निदेशक की पहचान खो जाने के बाद, किसी और को मध्यस्थ के रूप में नामित करने की शक्ति भी समाप्त कर दी गई थी।उक्त मामले में प्रासंगिक खंड ने स्वयं प्रबंध निदेशक को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया था और उक्त प्रबंध निदेशक को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामित करने का भी अधिकार दिया था।इस प्रकार उक्त खंड के तहत प्रबंध निदेशक के पास दो क्षमताएँ थीं, पहली मध्यस्थ के रूप में और दूसरी नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में।वर्तमान मामले में हम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की केवल एक क्षमता से संबंधित हैं और वह एक नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में है।

बी.

इस प्रकार हमारे पास मामलों की दो श्रेणियाँ हैं।पहला, टी. आर. एफ. लिमिटेड 4 के समान है, जिसमें प्रबंध निदेशक को स्वयं एक मध्यस्थ के रूप में नामित किया जाता है, जिसके पास किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की अतिरिक्त शक्ति होती है।दूसरी श्रेणी में, प्रबंध निदेशक को स्वयं मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना है, बल्कि वह अपनी पसंद या विवेक के किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए सशक्त या अधिकृत है। यदि, मामलों की पहली श्रेणी में, प्रबंध निदेशक को अक्षम पाया जाता है, तो यह कहा जाता है कि वह विवाद के परिणाम या परिणाम में रुचि रखता है।इस प्रकार अयोग्यता का तत्व सीधे तौर पर संबंधित होगा और इस तरह के परिणाम या निर्णय में उसके हित से उत्पन्न होगा।यदि यह परीक्षण है, तो इसी तरह की अयोग्यता हमेशा उत्पन्न होगी और दूसरी श्रेणी के मामलों में भी पैदा होगी।यदि विवाद के परिणाम में उसके हित को पक्षपात की संभावना का आधार माना जाता है, तो यह हमेशा मौजूद रहेगा, भले ही मामला पहली या दूसरी श्रेणी के मामलों में हो।हम इस बात से अवगत हैं कि यदि टी. आर. एफ. लिमिटेड 4 में इस न्यायालय के निर्णय से इस तरह

की कटौती की जाती है, तो सभी मामले जिनके समान खंड हैं, जिनसे हम वर्तमान में संबंधित हैं, समझौते का एक पक्ष अपने दम पर एक मध्यस्थ की कोई भी नियुक्ति करने का हकदार नहीं होगा और यह तर्क देने के लिए हमेशा उपलब्ध होगा कि विवाद में रुचि रखने वाला एक पक्ष या एक अधिकारी या एक प्राधिकरण एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने का हकदार नहीं होगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

16. लेकिन, हमारे विचार में यह टी. आर. एफ. लिमिटेड 4 से तार्किक कटौती होनी चाहिए। निर्णय के पैराग्राफ 50 से पता चलता है कि यह न्यायालय इस मुद्दे से संबंधित था, "क्या प्रबंध निदेशक, कानून के संचालन से अयोग्य होने के बाद, क्या वह अभी भी एक मध्यस्थ को नामित करने के लिए पात्र है" इसमें निर्दिष्ट अयोग्यता, कानून के संचालन के परिणामस्वरूप थी, जिसमें विवाद में या उसके परिणाम या निर्णय में रुचि रखने वाला व्यक्ति, केवल ए के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए।

जी.

एच.

295

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

एक मध्यस्थ लेकिन किसी और को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के लिए भी पात्र नहीं होना चाहिए और यह कि ऐसे व्यक्ति की मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति के साथ विवाद समाधान के लिए कोई मार्ग तैयार करने में कोई भूमिका नहीं हो सकती है और न ही होनी चाहिए।पैराग्राफ के अगले वाक्य, आगे बताते हैं कि ऐसे मामले जहां दोनों पक्ष अपनी पसंद के संबंधित मध्यस्थों को नामित कर सकते थे, पूरी तरह से एक अलग स्थिति पाई गई।इसका कारण स्पष्ट है कि किसी पक्ष को अपनी पसंद के मध्यस्थ को नामित करने से जो भी लाभ हो सकता है, वह दूसरे पक्ष के साथ समान शक्ति द्वारा संतुलित होगा।लेकिन, ऐसे मामले में जहां केवल एक पक्ष को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार है, उसकी पसंद में हमेशा विवाद समाधान के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने या चार्ट बनाने में विशिष्टता का एक तत्व होगा।स्वाभाविक रूप से, विवाद के परिणाम या निर्णय में रुचि रखने वाले व्यक्ति के पास एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति नहीं होनी चाहिए।इसे मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का

अधिनियम 3) द्वारा लाए गए संशोधनों के सार के रूप में लिया जाना चाहिए और इस न्यायालय के निर्णय द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।

बी.

सी.

टी**.** आर**.** एफ**.** लिमिटेड **4.**

डी.

17. हमें इस स्तर पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन में अपने निर्णय के पैरा **48** में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख करना चाहिए।लिमिटेड वी**.**राजा ट्रांसपोर्ट **(**पी**)** लिमिटेड **12,** जो **2016** के अधिनियम **3** से पहले प्राप्त करने के संदर्भ में था**,** लागू हो गया था**:-**

“48. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मध्यस्थों की नियुक्ति की योजना वाले अधिनियम की धारा 11 के दायरे का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है**:**

ई.

(i) जहां समझौते में तीन मध्यस्थों (एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए प्रत्येक पक्ष और तीसरा मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए दो नियुक्त मध्यस्थ) के साथ मध्यस्थता का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में जब कोई पक्ष दूसरे पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है (या दो नामित मध्यस्थ नियुक्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं), मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (4) के तहत शक्ति का प्रयोग करेगा।

एफ.

जी.

((ii) जहां समझौते में एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान है और पक्षकार किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमत नहीं हैं, वहां मुख्य न्यायाधीश या उनके

12 (2009) 8 एस. सी. सी. 520

एच.

नामित व्यक्ति धारा 11 की उप-धारा (5) के तहत शक्ति का प्रयोग करेगा, यदि पक्ष दूसरे पक्ष से किसी पक्ष द्वारा अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर मध्यस्थता पर सहमत होने में विफल रहते हैं।

(iii) जहां मध्यस्थता समझौता नियुक्ति प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, तब चाहे मध्यस्थता एकल मध्यस्थ द्वारा हो या तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण द्वारा, मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करेगा, यदि कोई पक्ष सहमत प्रक्रिया के तहत आवश्यक कार्य करने में विफल रहता है (या पक्ष या दो नियुक्त मध्यस्थ सहमत प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं या कोई व्यक्ति/संस्था उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहती है)।

बी.

सी.

(iv) जबकि 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करने में दूसरे पक्ष की विफलता उप-धारा (4) और (5) के तहत आने वाले मामलों में मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति से संपर्क करने के लिए मध्यस्थता की मांग करने वाले पक्ष को कार्रवाई का कारण प्रस्तुत करेगी, ऐसी समयबद्ध आवश्यकता धारा 11 की उप-धारा (6) में नहीं पाई जाती है।मध्यस्थता समझौते द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सहमत प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने में विफलता, या किसी निर्धारित समय-सीमा के अभाव में, उचित समय के भीतर, पीड़ित पक्ष को अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत याचिका दायर करने में सक्षम बनाएगी।

डी.

ई.

(v) जहां पक्षकारों के बीच नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमति हो गई है, लेकिन उप-धारा (6) के खंड (ए), (बी) या (सी) के तहत मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति की अधिकारिता को लागू करने के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, तो मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति द्वारा उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करने का सवाल उत्पन्न नहीं होता है।उप-धारा (6) के तहत आवश्यक उपाय करने के लिए मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति से संपर्क करने की पूर्व शर्त यह है कि

एफ.

जी.

((i) एक पक्ष जो सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत आवश्यकता के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है; या

((ख) पक्षकार (या दो नियुक्त मध्यस्थ) सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं; या

एच.

297

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

((ग) एक व्यक्ति/संस्था जिसे सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत कोई कार्य सौंपा गया है, जो ऐसा कार्य करने में विफल रहा है।

((vi) मुख्य न्यायाधीश या उसका नामित सदस्य धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए,

मध्यस्थता खंड में निर्धारित नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास करना।

बी.

((vii) यदि परिस्थितियाँ मौजूद हैं, जो नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हैं, या यदि अन्य परिस्थितियाँ निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गारंटी देती हैं, तो मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति, दर्ज किए जाने वाले कारणों से नामित मध्यस्थ की अनदेखी कर सकता है और किसी और को नियुक्त कर सकता है।”18. उपरोक्त पैराग्राफ 48 के उप पैरा (vii) में कहा गया है कि यदि नामित व्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह हैं, और यदि अन्य परिस्थितियां निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी करके एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गारंटी देती हैं, तो ऐसी नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जा सकती है।यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र मध्यस्थों की आवश्यकता और वांछनीयता के मुद्दे पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट No.246 में इस मामले पर विचार किया था।"मध्यस्थों की तटस्थता" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 53 से 60 को वॉइस्टापलाइन में इस न्यायालय के फैसले में उद्धृत किया गया है।

सी.

डी.

ई.

शियेनन जीएमबीएच बनाम दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन।लिमिटेड **13,** जबकि पैरा **59**

और रिपोर्ट का 60 इस न्यायालय के निर्णय में निकाला गया है

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड **14.**

वर्तमान प्रयोजनों के लिए, हम पैराग्राफ 57 पर भरोसा कर सकते हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः-

एफ.

“57. प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और इन अनुबंधों की बाध्यकारी प्रकृति के बीच संतुलन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद वाले के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है, और आयोग का मानना है कि कानून की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है।चूंकि निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कहना असंगत होगा कि पार्टी की स्वायत्तता का प्रयोग पूरी तरह से किया जा सकता है।

जी.

13 (2017) 4 एससीसी 665 14 (2019) 5 एससीसी 755

एच.

इन सिद्धांतों में से-भले ही दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने से पहले ही इस पर सहमति हो गई हो।वहाँ निश्चित हैं

स्वतंत्रता और निष्पक्षता के न्यूनतम स्तर जो पक्षकारों के स्पष्ट समझौते की परवाह किए बिना मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए आवश्यक होने चाहिए।उदाहरण के लिए, एक विवेकपूर्ण कानून एक ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति की अनुमति नहीं दे सकता है जो स्वयं विवाद का एक पक्ष है, या जो एक पक्ष द्वारा नियोजित (या इसी तरह निर्भर) है, भले ही पक्षकार इस पर सहमत हों।द.

बी.

आयोग ने जल्दबाजी में यह जोड़ा कि विधि आयोग के पदेन सदस्य श्री पी. के. मल्होत्रा ने राज्य के लिए एक अपवाद रखने का सुझाव दिया और राज्य पक्षों को कर्मचारी मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति दी।आयोग की राय है कि इस मुद्दे पर राज्य और गैर-राज्य दलों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।पार्टी की स्वायत्तता की अवधारणा को उस बिंदु तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जहां यह विवादों के समाधान के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायनिर्णायकों के होने के आधार को नकारता है।वास्तव में, जब

सी.

एक न्यायनिर्णायक की नियुक्ति करने वाला पक्ष राज्य है, एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायनिर्णायक की नियुक्ति करने का कर्तव्य बहुत अधिक कठिन है-और प्राकृतिक न्याय के अधिकार को केवल अनुबंध के समय और विवाद उत्पन्न होने से पहले पक्षों के बीच "पूर्व" समझौते के आधार पर माफ नहीं किया जा सकता है।"

डी.

19. वायस्टाल्पाइन 3 में, इस न्यायालय ने मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर निम्नानुसार विचार किया:

ई.

"20. मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही की पहचान है। पक्षपात के खिलाफ शासन प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों में से एक है जो सभी न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है।यह इस कारण से है कि इस तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थता के पक्षों और मध्यस्थों के बीच संबंध स्वयं संविदात्मक प्रकृति के हैं और मध्यस्थ की नियुक्ति का स्रोत पक्षकारों के बीच किए गए समझौते से निकाला जाता है, इसके बावजूद कि ऐसे मध्यस्थ की समान गैर-स्वतंत्रता और गैर-पक्षपात (हालांकि संविदात्मक रूप से सहमत) उसे मध्यस्थता करने के लिए अयोग्य बना देगा।इस तर्क के पीछे की उत्पत्ति यह है कि जब एक मध्यस्थ को अनुबंध के संदर्भ में और अनुबंध के पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाता है, तब भी वह पक्षों से स्वतंत्र होता है।कार्यों और कर्तव्यों के लिए उसे पक्षों के पक्षपातपूर्ण हित से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है और किसी भी पक्ष के विशेष हित में कार्य करने या आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है।आखिरकार, मध्यस्थ ए

एफ.

जी.

एच.

299

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

न्यायनिर्णायक भूमिका निभानी होती है और इसलिए, उसे पक्षों से स्वतंत्र होने के साथ-साथ निष्पक्ष भी होना चाहिए।यूनाइटेड किंगडम सुप्रीम कोर्ट ने हाशवानी न्यायालय जीवराज 15 में इस पहलू को निम्नलिखित शब्दों में खूबसूरती से उजागर किया है:(डब्ल्यू. एल. आर. पी. 1889, पैरा 45)

“45. ... मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रमुख उद्देश्य समझौते की शर्तों के अनुसार पक्षों के बीच विवाद का निष्पक्ष समाधान है और हालांकि पक्षों और मध्यस्थों के बीच अनुबंध व्यक्तिगत सेवाओं के प्रावधान के लिए एक अनुबंध होगा, वे पक्षों के निर्देश के तहत व्यक्तिगत सेवाएं नहीं थीं।”

बी.

सी.

21. इसी तरह**,** फ्रांस के कौर डी कैसेशन ने **1972** में कंसोर्टस यूरी में दिए गए एक फैसले में रेखांकित किया किः

“न्यायिक शक्ति के प्रयोग में एक स्वतंत्र मन अपरिहार्य है, चाहे उस शक्ति का स्रोत कुछ भी हो, और यह एक मध्यस्थ के आवश्यक गुणों में से एक है।”

डी.

22. स्वतंत्रता और निष्पक्षता दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं।एक मध्यस्थ स्वतंत्र हो सकता है और फिर भी, निष्पक्षता की कमी हो सकती है, या इसके विपरीत।निष्पक्षता, जैसा कि अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है, स्वतंत्रता की तुलना में एक अधिक व्यक्तिपरक अवधारणा है। स्वतंत्रता, जो अधिक एक वस्तुनिष्ठ अवधारणा है, इस प्रकार, मध्यस्थ द्वारा प्रकट की गई परिस्थितियों के आलोक में मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत में पक्षों द्वारा अधिक सीधे तौर पर सुनिश्चित किया जा सकता है, जबकि मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान पक्षपात सामने आने की अधिक संभावना है।

ई.

.....

.....

.....

एफ.

30. इस देश में स्वस्थ मध्यस्थता वातावरण और अनुकूल मध्यस्थता संस्कृति बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय को सकारात्मक संकेत भेजने का समय आ गया है।इसके अलावा, जैसा कि विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भी रेखांकित किया है, सरकारी अनुबंधों में कर्तव्य अधिक कठिन हो जाता है, जहां विवाद का एक पक्ष सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम स्वयं होता है और मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार उसके पास होता है।तत्काल मामले में भी, हालांकि विकल्प डी. एम. आर. सी. द्वारा विपरीत पक्ष को दिया जाता है, लेकिन यह मध्यस्थ का चयन करने तक सीमित है।

जी.

डी. एम. आर. सी. द्वारा तैयार पैनल। इसलिए, एक बहुत व्यापक पैनल का होना अनिवार्य हो जाता है, ताकि इस बात की कोई गलतफहमी न हो कि कार्यवाही के किसी भी चरण में, विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के चरण में, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांत को खारिज कर दिया जाएगा।इसलिए हम निर्देश देते हैं कि डी. एम. आर. सी. आज से दो महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त आधारों पर एक व्यापक पैनल तैयार करेगा।"20. वनहीन सिद्धांतों के आलोक में, विधि आयोग की रिपोर्ट और वोएस्टापलाइन शियेन जी. एम. बी. एच. 13 में निर्णय, स्वस्थ मध्यस्थता वातावरण बनाने की अनिवार्यताओं की मांग है कि तत्काल आवेदन स्वीकृति के योग्य है।

बी.

सी.

21. आगे जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या इस न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, जब प्रत्यर्थी द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है और क्या अपीलार्थी को कानून में उपलब्ध उपचारों के संदर्भ में उचित स्तर पर चुनौती देने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।इसी तरह के विवाद को इस न्यायालय के एक नामित न्यायाधीश द्वारा वाल्टर बाउ एजी 3 में देखा गया था और इस मुद्दे पर चर्चा इस प्रकार थीः- "9. हालांकि यह सही है कि एंट्रिक्स 16 और प्रिकोल लिमिटेड 17 में, इस न्यायालय द्वारा यह राय दी गई थी कि मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद, पीड़ित पक्ष का उपचार धारा 11 (6) के तहत नहीं है, बल्कि ऐसा उपचार मध्यस्थता अधिनियम (धारा 12 और 13) के विभिन्न प्रावधानों के तहत कहीं और है, जिस संदर्भ में उपरोक्त विचार व्यक्त किया गया था, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।एंट्रिक्स 16 में, आई. सी. सी. नियमों के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति, सहमत वैकल्पिक प्रक्रिया के अनुसार थी, जबकि प्रिकोल लिमिटेड 17 में।, जिस पक्ष ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन दायर किया था, वह पहले ही मध्यस्थ के अधिकार क्षेत्र में जमा कर चुका था।वर्तमान स्थिति इसके विपरीत है।

डी.

ई.

एफ.

10. जब तक मध्यस्थ की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से वैध नहीं है और ऐसी नियुक्ति मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को संतुष्ट नहीं करती है, तब तक धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करने के लिए ऐसी नियुक्ति की स्वीकृति को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच सहमत प्रक्रिया ने 30 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति पर विचार किया।

जी.

16 (2014) 11 एससीसी 560 17 (2015) 4 एससीसी 177 ए

एच.

301

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर. v.एच. एस. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड. [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

प्रथम पक्ष से सूचना की प्राप्ति।हालांकि दातार स्विचगियर्स लिमिटेड 18 में निर्णय ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत आवेदन दाखिल करने से पहले एक समय तक इसे बढ़ाकर पक्षों द्वारा सहमत समय सीमा में कुछ लचीलापन पेश किया हो सकता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में श्री न्यायमूर्ति ए. डी. माने की नियुक्ति स्पष्ट रूप से आई. सी. ए. डी. आर. द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियमों के प्रावधानों के विपरीत है, जिसका पालन करने के लिए पक्षकारों ने सहमति व्यक्त की थी।प्रत्यर्थी निगम को आई. सी. ए. डी. आर. द्वारा प्रस्तुत पैनल से परे जाने और अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने का विकल्प स्पष्ट रूप से पक्षों के विचार में नहीं था। यदि ऐसा है, तो जाहिर है, श्री न्यायमूर्ति ए. डी. माने की नियुक्ति कानूनी रूप से गैर-कानूनी है। अतः ऐसी नियुक्ति मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत इस न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को बाधित नहीं करेगी। इसलिए, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान कार्यवाही कानून में बनाए रखने योग्य नहीं है।याची द्वारा नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के बाद की गई श्री न्यायमूर्ति ए. डी. माने की नियुक्ति, हालांकि दातार स्विचगियर्स लिमिटेड 18 में निर्धारित कानून के अनुरूप प्रतीत हो सकती है, स्पष्ट रूप से उस सहमत प्रक्रिया के विपरीत है जिसमें प्रत्यर्थी निगम द्वारा की गई नियुक्ति आई. सी. ए. डी. आर. द्वारा प्रस्तुत पैनल से होनी चाहिए। अतः उक्त नियुक्ति कानून में स्पष्ट रूप से अमान्य है।”

बी.

सी.

डी.

ई.

22. यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि वाल्टर बाउ एजी 3 में नामित न्यायाधीश के उपरोक्त दृष्टिकोण को टीआरएफ लिमिटेड 4 में अपीलार्थी की ओर से सेवा में लगाया गया था और नामित न्यायाधीश द्वारा व्यक्त की गई राय इस न्यायालय के बाध्यकारी अधिकारियों के अनुरूप पाई गई थी।यह देखा गयाः-

एफ.

"32. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुंदरम ने भी वाल्टर बाउ एजी 3 में इस न्यायालय के नामित न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय से प्रेरणा ली है, जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने एंट्रिक्स कॉर्प का उल्लेख करने के बाद दिया था।लिमिटेड 16., उसी को अलग करता है और प्राधिकरण को भी अलग करता है

जी.

प्रिकोल लिमिटेड बनामजॉनसन कंट्रोल्स एंटरप्राइज लिमिटेड 17 और आया

इसे बनाए रखने के लिएः(वाल्टर बाउ एजी मामला 3, एस. सी. सी. पृष्ठ 806, पैरा 10)
"10. जब तक कि मध्यस्थ की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप से वैध नहीं है और ऐसी नियुक्ति अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को संतुष्ट नहीं करती है

18 (2000) 8 एस. सी. सी. 151

एच.

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत, धारा 11 (6) के तहत अधिकार क्षेत्र को बाधित करने के लिए इस तरह की नियुक्ति की स्वीकृति को कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।..."

33. हम तुरंत बता सकते हैं कि उपरोक्त मामले में व्यक्त की गई राय उन बाध्यकारी अधिकारियों के अनुरूप है जिनका हमने पहले उल्लेख किया है।"

बी.

23. टी. आर. एफ. लिमिटेड 4 में, प्रत्यर्थी के प्रबंध निदेशक ने उपरोक्त खंड 33 (डी) के संदर्भ में इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नामित किया था, जिसके बाद अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 11 (6) के सहपठित धारा 11 (5) के तहत

एक आवेदन को प्राथमिकता दी थी। याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और इस मुद्दे पर कि क्या प्रबंध निदेशक एक मध्यस्थ को नामित कर सकता है, अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय लिया गया था जैसा कि ऊपर कहा गया है।जहां तक नई नियुक्ति के मुद्दे का संबंध है, इस न्यायालय ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया, जैसा कि निर्णय के पैरा 55 से स्पष्ट है।इन अधिकारियों के आलोक में आवेदकों द्वारा पसंद किए गए तत्काल आवेदन पर विचार करने में कोई बाधा नहीं है।24. तत्काल मामले में खंड से यह भी स्पष्ट है कि मध्यस्थ के लिए किसी भी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता जैसी किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है।यह प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उचित रूप से स्वीकार विद्वान गया था।

सी.

डी.

25. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमारे विचार में आवेदकों द्वारा दिए गए तत्काल आवेदन पर विचार करने के लिए एक मामला बनाया गया है।हम, इसलिए, आवेदन को स्वीकार करते हैं, प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए दिनांकित 30.07.2019 पत्र और मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रभाव को रद्द करते हैं।अधिनियम की धारा 11 (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम स्वतंत्र और निष्पक्षता और अधिनियम की धारा 29 ए के अनुसार अवधि के भीतर मध्यस्थता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने की क्षमता के संबंध में अधिनियम की संशोधित धारा 12 के तहत की गई अनिवार्य घोषणा के अधीन, पक्षों के बीच दिनांकित समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का फैसला करने के लिए इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं। आदेश की एक प्रति डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी को 144, सुंदर नगर, नई दिल्ली-110003 (दूरभाष) पर भेजी जाए। नहीं.:- 011 - 41802321).मध्यस्थ अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार शुल्क लेने का हकदार होगा। शुल्क और अन्य खर्चों को दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

ई.

एफ.

जी.

26. अलग होने से पहले, हमें यह कहना होगा कि इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति को ए पर किसी भी प्रतिबिंब के रूप में नहीं लिया जाएगा।

एच.

प्रत्यर्थी द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की क्षमता और स्थिति।हमें यह रिकॉर्ड में रखना चाहिए कि आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा उस संबंध में कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था।इस मामले पर बहस की गई थी और विशुद्ध रूप से कानूनी दृष्टिकोण से विचार किया गया है जैसा कि यहाँ ऊपर चर्चा की गई है।

27. उपरोक्त शर्तों में इस आवेदन की अनुमति है।

बी.

2019 का प्रत्यायन आवेदन **NO.34**

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर.

...आवेदनकर्ता

वेरसस

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

...उत्तरदाता 28.इस आवेदन में बुनियादी तथ्य कमोबेश एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि इस मामले में प्रस्ताव के लिए अनुरोध "व्यापक योजना और डिजाइनिंग से संबंधित है, जिसमें अवधारणाओं की तैयारी और विकास, परिसर के लिए मास्टर प्लान, विभिन्न भवनों/संरचनाओं के लिए सभी प्रारंभिक और कार्यशील चित्र तैयार करना, जिसमें कल्याणी, पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए विनिर्देशों और मात्रा की अनुसूची तैयार करना शामिल है।".इस मामले में "विवाद समाधान" शीर्षक वाला खंड No.24 और आवेदकों द्वारा संबोधित संचार भी समान हैं और प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिक्रिया भी समान थी।इस मामले में भी, एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 30.07.2019 के संचार के माध्यम से की गई थी।

सी.

डी.

ई.

चूँकि तथ्य समान हैं और प्रस्तुतियाँ सामान्य हैं, इसलिए इस आवेदन का निपटारा मुख्य मामले के समान शब्दों में किया जाता है।29.उपरोक्त परिस्थितियों में, हम आवेदन को स्वीकार करते हैं, प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए 30.07.2019 दिनांकित पत्र और मध्यस्थ की नियुक्ति के प्रभाव को रद्द करते हैं।अधिनियम की धारा 11 (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम स्वतंत्र और निष्पक्षता और अधिनियम की धारा 29 ए के अनुसार अवधि के भीतर मध्यस्थता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने की क्षमता के संबंध में अधिनियम की संशोधित धारा 12 के तहत की गई अनिवार्य घोषणा के अधीन, पक्षों के बीच दिनांकित समझौते से उत्पन्न होने वाले

सभी विवादों का फैसला करने के लिए इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं। आदेश की एक प्रति डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी को 144, सुंदर नगर, नई दिल्ली-110003 (दूरभाष) पर भेजी जाए। नहीं.:- 011 - 41802321).मध्यस्थ अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार शुल्क लेने का हकदार होगा। शुल्क और अन्य खर्चों को दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

एफ.

जी.

एच.

304 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

प्रत्यायन आवेदन सं। **2019** का **35**

पर्किन्स ईस्टमैन आर्किटेक्ट्स डी. पी. सी. और ए. एन. आर.

...आवेदन करने वाले

वेरसस

एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड

...उत्तरदाता 30.इस आवेदन में बुनियादी तथ्य कमोबेश एक जैसे हैं, सिवाय इसके कि इस मामले में प्रस्ताव के लिए अनुरोध "व्यापक योजना और डिजाइनिंग से संबंधित है, जिसमें अवधारणाओं की तैयारी और विकास, परिसर के लिए मास्टर प्लान, नागपुर, महाराष्ट्र में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए विनिर्देशों की तैयारी और मात्रा की अनुसूची सहित विभिन्न भवनों/संरचनाओं के लिए सभी प्रारंभिक और कार्यशील चित्र तैयार करना शामिल है।" इस मामले में "विवाद समाधान" शीर्षक वाला खंड No.24 और आवेदकों द्वारा संबोधित संचार भी समान हैं और प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिक्रिया भी समान थी।इस मामले में भी, एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति प्रत्यर्थी द्वारा दिनांक 30.07.2019 के संचार के माध्यम से की गई थी।

बी.

सी.

डी.

चूँकि तथ्य समान हैं और प्रस्तुतियाँ सामान्य हैं, इसलिए इस आवेदन का निपटारा मुख्य मामले के समान शब्दों में किया जाता है।31. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम आवेदन को स्वीकार करते हैं, प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए 30.07.2019 दिनांकित पत्र और मध्यस्थ की नियुक्ति के

प्रभाव को रद्द करते हैं।अधिनियम की धारा 11 (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम स्वतंत्र और निष्पक्षता और अधिनियम की धारा 29 ए के अनुसार अवधि के भीतर मध्यस्थता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देने की क्षमता के संबंध में अधिनियम की संशोधित धारा 12 के तहत की गई अनिवार्य घोषणा के अधीन, पक्षों के बीच दिनांकित समझौते से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का फैसला करने के लिए इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करते हैं। आदेश की एक प्रति डॉ. न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी को 144, सुंदर नगर, नई दिल्ली-110003 (दूरभाष) पर भेजी जाए। नहीं.:- 011 - 41802321).मध्यस्थ अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार शुल्क लेने का हकदार होगा। शुल्क और अन्य खर्चों को दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा।

ई.

एफ.

जी.

कल्पना के. त्रिपाठी

मध्यस्थता आवेदनों की अनुमति है।

एच.